संचिका सं0–7 / आ0कॉ0–36–03 / 2025–26..........95 (78)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 20/02/2026

विषय:– वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुसराय में इंटर्नशिप कर रहे छात्र / छात्राओं के छात्रवृति / वजीफा भुगतान हेतु कुल रू0 25,00,000 / – (रूपये पच्चीस लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि विभागीय सकल्प सख्या–125(1), दिनाक–20 02 2014 एव सकल्प संख्या–776(1), दिनाक–29 11 2023 एव समय–समय पर निर्गत विभिन्न स्वास्थ्य विभागीय सकल्पो के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2025–26 मे आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुसराय मे इर्टर्नशिप कर रहे छात्र / छात्राओ के छात्रवृति / वजीफा भुगतान हेतु कुल रू0 25,00,000 / – (रूपये पच्चीस लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन माग स0–20 के अतर्गत स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसधान लघु शीर्ष–101– आयुर्वेद, उपशीर्ष- 0001- आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुराराय विपत्र कोड–20-2210-05-101-0001 अतर्गत छात्रवृति / वजीफा (34–01) मद मे बजट उपबध के माध्यम से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुसराय होगे एव नियत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुगेर प्रमडल, मुगेर होगे।

(4) निकासी एव व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एव स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रो के आलोक मे राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए सबधित छात्रो को उपलब्ध करायेगे।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, बेगुराराय से की जायेगी ।

(6) इसमे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(7) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या 2561 / वि(2), दिनाक–17 04 1998 के प्रावधानो के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(8) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक मे व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

(9) प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका स0– स0–7 / आ0कॉ0-36-03 / 2025-26 के पृष्ठ 16 / टि० पर प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) सबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

विश्वासभाजन,

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः— 7/ आ0कॉ0—36—03/2025—26 — 95(7B)/**स्वा0, पटना, दिनांकः**— 20/02/2025

प्रतिलिपिः—वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, बेगुसराय/क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुगेर प्रमंडल, मुगेर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्राचार्य, आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव